**Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]**

FORM OF ORDER SHEET

# IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

## Miscellaneous Bandobasti Revision No.- 161/2022

**Islam ..... Petitioner.**

**Versus**

**The State of Bihar & Ors ..... Opposite Parties.**

| Serial No. | Date of order of proceeding. | Order with signature of the court. | Office action taken with date |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 26.10.2023 | **आदेश**<br><br>प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद न्यायालय, समाहर्त्ता, पूर्णिया द्वारा बंदोबस्ती अपील वाद सं0–03/2021 में दिनांक–12.04.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु पृथक आवेदन दाखिल है।<br>उभय पक्षों को सुना। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–रामपुर, थाना सं0–80, खाता सं0–406, खेसरा सं0–128/2842, रकवा–79 डी0 विवादित भूमि है। उक्त भूमि रामेश्वर प्रसाद सिंह की खतियानी भूमि है जो कभी भी सिलिंग प्रक्रिया में अधिग्रहित नहीं की गई है। भू–स्वामी द्वारा वर्ष 1968 में उक्त भूमि आवेदक के विक्रेता के पास बेच दी गई। आवेदक द्वारा वर्ष 2011 में उक्त भूमि का कुछ हिस्सा क्रय करते हुए नामांतरण कराकर भू–लगान दे रहे हैं। अचानक जनवरी, 2020 में विपक्षी द्वारा इन्हें उक्त भूमि पर जाने से मना करते हुए यह कहा गया कि बंदोबस्ती वाद सं0–01/1983–84 द्वारा प्रश्नगत भूमि इन्हें एवं इनके भाईयों के पक्ष में लालकार्ड प्राप्त है। आवेदक द्वारा यह जानकारी मिली कि अवैध तरीके से प्रश्नगत भूमि की बंदोबस्ती विपक्षियों द्वारा करा ली गई है। उक्त बंदोबस्ती वाद कार्यालय से गुम हो जाने के कारण इन्हें सच्ची प्रति प्राप्त नहीं हो सकी। विपक्षी बड़े भू–स्वामी हैं जिन्हें 100 (एक सौ) बीघा से अधिक भूमि है। प्रश्नगत भूमि पर ये कभी दखलकार नहीं हुए। बल्कि उनपर आवेदक दखलकार हैं। आवेदक द्वारा उक्त बंदोबस्ती के विरूद्ध समाहर्त्ता, पूर्णिया के समक्ष बंदोबस्ती अपील सं0–03/2021 दायर किया गया जिसे दिनांक–12.04.2022 को अधिग्रहण के बिंदु पर खारिज कर दिया गया।<br>इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय आदेश तथ्यों से परे एवं अवैध है। अंचलाधिकारी, पूर्णिया पूर्व द्वारा बंदोबस्ती वाद सं0–01/1983–84 कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने प्रतिवेदन को भी नजरअंदाज किया गया है जो न्यायोचित नहीं है। इस प्रकार इनकी ओर से पुनरीक्षण वाद स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है।<br>दूसरी तरफ विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि | |

Web Copy, Not Official.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद तथ्यों के आधार पर पोषणीय नहीं है। वर्ष 2011 का केवाला मो0 नूर इस्लाम एवं उसकी पत्नी बीबी निवास के नाम दर्ज है लेकिन<br>क्रमशः | |
| | लगातार<br>26.10.2023 | आवेदक इस्लाम नाम के व्यक्ति हैं जो सही नहीं है। प्रश्नगत भूमि रामेश्वर प्रसाद सिंह वगैरह के नाम दर्ज है जिसमें व कब्जे जगन्नाथ दास वगैरह शिकमी खाता सं0–90 अंकित है। शिकमीदार उक्त भूमि पर बहुत पहले से खेती–बाड़ी करते हुए कायमीदार को लगान स्वरूप भुगतान करते रहे। विवादित भूमि सिलिंग में अधिग्रहित होकर बंदोबस्ती वाद सं0–01/1983–84 के माध्यम से जगन्नाथ दास वगैरह को बंदोबस्त की गई। विपक्षी सं0–02 जगन्नाथ दास की मृत्यु दिनांक–21.02.2023 को हो गई किन्तु आवेदक द्वारा इनके वैध वारिशानों को प्रतिस्थापित नहीं किया गया है, मात्र इसी आधार पर पुनरीक्षण वाद खारिज होने योग्य है। उक्त भूमि पर इनका खास दखल–कब्जा रहा है। आवेदक द्वारा वर्ष 2011 में प्राप्त विक्रय संलेख के आधार पर कभी दखलकार नहीं हुए। प्रश्नगत भूमि इनके पूर्वजों को विधिवत् बंदोबस्त की गई है। किन्तु समुचित देखरेख के आभाव में बंदोबस्ती परवाना नष्ट हो गया है। बंदोबस्ती पश्चात् प्रश्नगत भूमि पर इनका शांतिपूर्ण दखल–कब्जा है तथा वर्ष 2023–24 तक भू–लगान भुगतान है। निम्न न्यायालय में अपीलार्थी द्वारा दायर बंदोबस्ती अपील को समाहर्त्ता, पूर्णिया द्वारा संबंधित आदेश के आभाव में सही अस्वीकृत किया गया है। इस प्रकार इनकी ओर से प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद को अस्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है।<br>उभय पक्षों को सुनने एवं निम्न न्यायालय आदेश तथा अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकनोपरांत यह स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा प्रश्नगत भूमि वर्ष 2011 में प्राप्त विक्रय संलेख के आधार पर दावा किया जा रहा है, जबकि विपक्षीगण के पूर्वज उक्त भूमि के खतियानी शिकमीदार के रूप में दखलकार रहने के साथ–साथ बंदोबस्ती वाद सं0–01/1983–84 से प्राप्त बंदोबस्ती परवाना के आधार पर दावा किया जा रहा है। उभय पक्षों के अभिकथनों से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि के खतियानी रैयत रामेश्वर प्रसाद सिंह वगैरह है। जिसके अभियुक्ति कॉलम में बकब्जे जगन्नाथ दास वगैरह शिकमीदार के रूप में दर्ज है। जिनका शिकमी खाता सं0–90 है। उक्त भूमि के शिकमीदार लंबे समय से दखलकार रहते हुए खतियानी रैयत को पैदावार के अनुरूप भुगतान करते रहे। प्रश्नगत भूमि सिलिंग में अधिग्रहित होते हुए शिकमीदार जगन्नाथ दास वगैरह को बंदोबस्त हुई। कालांतर में उनके वारिशान दखलकार चले आ रहे हैं। आवेदक द्वारा जिस बंदोबस्ती वाद के विरूद्ध निम्न न्यायालय में अपील दायर किया गया था उससे संबंधित किसी प्रकार का समुचित आदेश अथवा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के आलोक में समाहर्त्ता, पूर्णिया द्वारा अधिग्रहण के बिंदु पर उक्त अपील को अस्वीकृत कर दिया गया है। आवेदक द्वारा इस न्यायालय में भी बंदोबस्ती वाद सं0–01/1983–84 से संबंधित कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे निम्न न्यायालय आदेश खंड़ित हो सके।<br>अतः उपर्युक्त के आलोक में समाहर्त्ता, पूर्णिया द्वारा पारित आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। पुनरीक्षण वाद अस्वीकृत। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति | |

WebCopy. Not Official.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | निम्न न्यायालय को भेजें।<br>लेखापित एवं शुद्धित।<br><br>आयुक्त,<br>पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ। आयुक्त,<br>पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ। | |

Web Copy. Not Official.